न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा (राज0)
पीठासीन अधिकारी, अश्विन के पंवार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 41 / 2018

दायर दिनांक—23.08.2018

निर्णय दिनांकः—23-12-2021

1. श्रीमती पार्वती पत्नि श्री भरतलाल मीणा निवासी गलन्दर फला पांच महुडी तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर राज.

बनाम

1— श्री बसु पिता कालिया ननोमा मीणा निवासी गलन्दर फला पांच महुडी तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर राज.
2. श्री दिनेश पिता बसु ननोमा मीणा निवासी गलन्दर फला पांच महुडी तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर राज.
3. श्री बापु पिता बसु ननोमा मीणा निवासी गलन्दर फला पांच महुडी तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर राज.
4. श्री कांति पिता बसु ननोमा मीणा निवासी गलन्दर फला पांच महुडी तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर राज.
5. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब बिछीवाडा जिला डूंगरपुर राज.

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा, घोषणा एवं बेदखल किये जाने

उपस्थितः—

1—श्री दीपक पण्डया

2— श्री मुकेश भट्ट / सुरेन्द्र खराडी

:: निर्णय ::

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादिया के पति स्व. भरतलाल मीणा शहीद सैनिक थे जिनके मृत्यू होने के बाद वादीया मौजा पांच महुडी के खसरा सं. 3110 / 976 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि पर अपने पुराने 55—60 वर्षो से खाते एवं कब्जे की भूमि पर चारों ओर थुअर की बाड लगी हुई है तथा वादीया का मकान भी बना हुआ है। वादीगण के स्वतंत्र कब्जे की भूमि व मकान पर वादीया को बेदखल करने के उद्देश्य से प्रतिवादी सं. 2,4 व मणकी पत्नि बसु द्वारा अपराधिक कृत्य किया गया जिस पर प्रार्थिया ने पुलिस थाना बिदीवाडा में प्रथम सुचना संख्या 191 / 2000 दर्ज कर अपराध धारा 447,427 / 34 ता.ही. में मुकदमा कायम किया था जिसमें माननीय न्यायालय श्रीमान एस जे एम साहब डूंगरपुर द्वारा मुकदमा नं. 287 / 2000 रे. फौ. में अपने निर्णय दिनांक 16.02.2002 को दोष सिद्ध घोषित किया गया था।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीयो को जरिए समन तलब किया गया। तलब किया जाने पर प्रतिवादी की ओर से मुकेश कुमार एवं सुरेन्द्र खराडी का संयुक्त वकालतनामा पेश हुआ। प्रकरण में दिनांक 18.10.2018 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाई अमल में लाई गयी। तथा उक्त प्रकरण 18.04.2019 को अधम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाकर नम्बर से कम की गयी एवं दिनांक 12.07.2019 को प्रतिवादी की ओर से वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर वादीया को सुनने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गयी।

वकील वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र श्री रतनलाल एवं धुला के दिनांक 02.08.2019 को पेश किये तथा 17.10.2019 कों एकपक्षीय कार्यवाई अमल में लाई गयी। तथा उक्त प्रकरण 18.04.2019 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाकर नम्बर से कम की गयी एवं दिनांक 12.07.2019 को प्रतिवादी की ओर से वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर वादीया को सुनने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गयी।

वकील वादी की ओर से साक्ष्य / शपथ पत्र श्री रतनलाल एवं धुला के दिनांक 02.08.2019 को पेश किये तथा 17.10.2019 कों श्रीमती पार्वती का साक्ष्य / शपथ पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। उक्त साक्ष्य / शपथ पत्र के अनुसरण में प्रदर्श पी—1 मौजा पांच महुडी पटवार क्षेत्र गलन्दर जमाबन्दी संवत् 2070—73 , प्रदर्श—2 गिरदावरी 2074 , प्रदर्श—3 नक्शा ट्रेस मौजा पांच महुडी कराये गये।

प्रकरण में एकपक्षीय बहस समाहित की गयी। वादी वकील द्वारा अवगत कराया कि वादी का पति शहीद सैनिक था। शहीद सैनिक होने से आश्रितों को सरकार द्वारा 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि आवंटित की गयी थी। जिसका खसरा नं. 3110 / 976 (जमाबंदी संवत् 2074 के अनुसार खातेदार विरेन्द्र पिता भातु ना.बा. विरेन्द्र की वली माता पार्वती बेवा भातु भील सा. देह खातेदार) है। जिस पर वादीया 55—60 वर्षो से काबिज है। उक्त खसरा नं. पर थुअर की बाड लगाकर उसमें सागवान के पेड

लगाये हुए है। तथा वादीया का उसी खसरा नं. में मकान भी बना हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा समय–समय पर वादीया को परेशान करने, जमीन हडपने तथा कब्जा करने की नीयत से परेशान किया जा रहा है। विपक्षीगण द्वारा आपराधिक कृत्य किये जा रहे है। जिसकी रिपोर्ट प्रार्थिया द्वारा पुलिस थाने बिछीवाडा में दी गयी। जिस पर प्रथम सुचना रिपोर्ट 191/2000 अपराध धारा 447, 427/34 ता. हि. में मुकदमा कायम किया जाकर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर द्वारा मुकदमा नं. 287/2000 रै.फौ. में निर्णय दिनांक 16.2.2002 दोषसिद्ध घोषित किया गया । प्रतिवादीगण द्वारा वादीया श्रीमती पार्वती की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। तथा दिनांक 05.05.2018 को प्रतिवादी द्वारा वादीया की खातेशुदा जमीन खसरा सं. 3110/976 में सागवान के पेड काट कर ले गये। जिससे वादीया को भारी नुकसान पहुंचाया है। जिस कारण वाद कारण पैदा हुआ है। वकील वादी द्वारा यह भी अवगत कराया है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौजा पांचमहुडी के खसरा नं. 3110/976 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा (जमाबंदी संवत् 2074 के अनुसार खातेदार विरेन्द्र पिता भातु ना.बा. विरेन्द्र की वली माता पार्वती बेवा भातु भील सा. देह) वादीया की खातेदारी भूमि है। वादीया के हक में है। प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्ध स्थायी एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी करना फरमावे कि खसरा सं. 3110/976 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा पर वादीया को किसी प्रकार से परेशान, निर्माण अथवा बेदखल नहीं करे तथा न ही किसी अन्य से करावे। तथा उक्त भूमि पर वादीया को पत्थरगढ़ी कर राहत प्रदान करावे वादीया को उचित न्याय मिले।

हमारे द्वारा विद्वान वकील की एकपक्षीय बहस समाहित की गयी तथा पत्रावली का गोर अध्ययन किया गया।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा पॉच महूडी में वादी के हक के खसरा नं0 3110/976(जमाबंदी संवत् 2074 के अनुसार खातेदार विरेन्द्र पिता भातु ना.बा. विरेन्द्र की वली माता पार्वती बेवा भातु भील सा. देह) रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से परेशान नही, निर्माण अथवा बेदखल नही करे तथा नही किसी अन्य से करावे। पत्रावली फेसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23-12-2021 को सरेईजलास किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बिछीवाडा